

राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष - 0141-2744688

अब ई-ऑक्शन पर उपलब्ध

भुगतान शर्तों में भारी छूट

जयपुर की प्रतिष्ठित प्रताप नगर योजना में

'आयुष मार्केट'(दवा मार्केट)

RERA द्वारा स्वीकृत रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2020/1206

ई-ऑक्शन की तिथि 13 से 15 जुलाई, 2020

क्र. सं.	भूखण्ड/दुकान संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अमानत राशि (रूपये में)	न्यूनतम बोली मूल्य (रु. प्र.व.मी.)
1.	28/CS-43 (Corner)	108.00	1,48,608/-	68,800/-
2.	28/CS-05 (Corner)	40.50	55,728/-	68,800/-
3.	28/CS-06 (Ordinary)	40.50	53,055/-	65,500/-
4.	28/CS-07 (Ordinary)	40.50	53,055/-	65,500/-
5.	28/CS-08 (Ordinary)	40.50	53,055/-	65,500/-
6.	28/CS-09 (Ordinary)	40.50	53,055/-	65,500/-
7.	28/CS-20 (Ordinary)	27.00	35,370/-	65,500/-
8.	28/CS-21 (ST)	27.00	35,370/-	65,500/-
9.	28/CS-22 (Ordinary)	27.00	35,370/-	65,500/-
10.	28/CS-23 (SC)	27.00	35,370/-	65,500/-
11.	28/CS-24 (Corner)	27.00	37,152/-	68,800/-

भूखण्ड संख्या 28/CS-43 पैथोलॉजी लैब के लिए आरक्षित है।

अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा कराने की प्रक्रिया

- अमानत राशि (ई.एम.डी.) ऑन लाईन/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से नीलामी प्रारंभ तिथि से 5 दिन पहले से ही जमा कराई जा सकेगी, परन्तु नीलामी समाप्ति के समय से 6 घण्टे पूर्व तक ही ऑनलाईन अमानत राशि (ई.एम.डी.) स्वीकार की जा सकेगी जबकि RTGS/NEFT द्वारा नीलामी समाप्ति के समय से 24 घण्टे पूर्व तक ही अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी।
- ई-ऑक्शन के लिए बोली नीलामी समाप्ति की तिथि को सायं 6:00 बजे तक लगाई जा सकेगी।

भुगतान की शर्तों में दी गई छूट

- अब अमानत राशि (ई.एम.डी.) बिड मूल्य के 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत ली जाएगी।
- सफल बिड राशि की 15 प्रतिशत राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी, जिसमें 2 प्रतिशत ई.एम.डी. समायोजित कर ली जाएगी।
- बिड स्वीकृति के पश्चात् बिड मूल्य की (विविध खर्चों सहित) 35 प्रतिशत राशि 240 दिवस में एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 360 दिवस में जमा करवाई जा सकती है।
- सम्पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर नीलामी मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

- नोट : 1. नीलामी में भाग लेने, विस्तृत शर्तों, मानचित्र एवं अन्य जानकारी के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb विजिट करें।
2. भवन निर्माण पेरामीटर्स एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार रहेंगे।

आवासन मण्डल की सभी योजनाओं की जानकारी के लिए कॉल सेन्टर पर फोन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हैल्प लाइन नं. कार्यालय समय में : 0141-2744688 एवं 0141-2740009 कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319

बुधवार नीलामी उत्सव के तहत 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना में किशतों में घर खरीदने का सुनहरा अवसर